"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी.2-22-छत्तीसगढ़ गजट / 38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-05-2001."

पंजीयन क्रमांक
"छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2013-2015."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 101] रायपुर, बुधवार, दिनांक 23 मार्च 2016— चैत्र 3, शक 1938

छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत नियामक आयोग

सिंचाई कॉलोनी, शान्ति नगर, रायपुर

रायपुर, दिनांक 21 मार्च 2016

विनियम

क्रमांक–68/छ.ग.रा.वि.नि.आ./2016.— विद्युत अधिनियम, 2003 (क्रमांक 36 सन् 2003) की धारा 61, 86 सहपठित 181 में निहित शक्तियों और इस संबंध में अन्य समस्त समर्थकारी शक्तियों के अनुसरण में छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत नियामक आयोग (आयोग) ने छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत नियामक आयोग (नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों पर आधारित संयंत्रों द्वारा उत्पादित विद्युत हेतु उत्पादन टैरिफ के निर्धारण की दशाएं और शर्तें और संबंधित विषयवस्तु) विनियम, 2012 (छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत नियामक आयोग नवीकरणीय ऊर्जा टैरिफ विनियम, 2012 या मूल विनियम), पवन आधारित विद्युत उत्पादन केन्द्रों, छोटे जल विद्युत उत्पादन केन्द्रों, बायोमास आधारित विद्युत उत्पादन केन्द्रों और सौर आधारित विद्युत उत्पादन संयंत्रों के लिए, वितरण अनुज्ञप्तिधारियों को विद्युत विक्रय के निमित्त टैरिफ की शर्तें और दशाएं विनिर्दिष्ट करने हेतु बनाए थे। ये विनियम छत्तीसगढ़ राजपत्र में इनकी अधिसूचना दिनांक अर्थात् 27 जुलाई, 2012 से 5 वर्ष की नियंत्रण अवधि अर्थात् वित्तीय वर्ष 2012–13 से वित्तीय वर्ष 2016–17 हेतु प्रभावशील हुए।

तत्पश्चात् आयोग ने छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत नियामक आयोग (नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों पर आधारित संयंत्रों द्वारा उत्पादित विद्युत हेतु उत्पादन टैरिफ के निर्धारण की दशाएं और शर्तें और संबंधित विषयवस्तु) (प्रथम संशोधन) विनियम, 2013 अधिसूचित कर दिए।

मूल विनियमों और इसके परिवर्ती संशोधनों के अनुसरण में आयोग एतद् द्वारा मूल विनियमों को संशोधित करने के लिए निम्नलिखित विनियम बनाता है:–

1. **संक्षिप्त नाम तथा प्रारंभ –**

 1.1 ये विनियम छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत नियामक आयोग (नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों पर आधारित संयंत्रों द्वारा उत्पादित विद्युत हेतु उत्पादन टैरिफ के निर्धारण की दशाएं और शर्तें और संबंधित विषयवस्तु) (द्वितीय संशोधन) विनियम, 2016 कहलाएंगे;

1.2 ये विनियम, 01 अप्रैल, 2016 से लागू होंगे और वित्तीय वर्ष 2016–17 के अंत तक प्रभावशील रहेंगे।

2. विनियम 2.1 के उप विनियम (ड) के स्थान पर नवीन उप विनियम का प्रतिस्थापन

मूल विनियमों के स्थान पर विनियम 2.1 के उप विनियम (ड) के स्थान पर निम्नलिखित उप विनियम प्रतिस्थापित किया जाए, अर्थात् :–

(ड) **''फर्म विद्युत''** से अभिप्रेत है, परियोजना की वाणिज्यिक संचालन की तिथि से और उसके उपरांत प्रदाय की गई विद्युत।

3. विनियम 2.1 के उप विनियम (भ) के स्थान पर नवीन उप विनियम का प्रतिस्थापन

मूल विनियमों के विनियम 2.1 के उप विनियम (भ) के स्थान पर निम्नलिखित उप विनियम प्रतिस्थापित किया जाए, अर्थात्:–

(भ) **''नॉन फर्म विद्युत''** से अभिप्रेत है, नवीकरणीय स्रोतों से उत्पादित विद्युत, जिसका घंटे दर घंटे परिवर्तन, धूप, बादल, पवन, आदि प्राकृतिक लक्षणो पर आश्रित है, जिसका शुद्ध पूर्वानुमान नहीं लगाया जा सकता;

4. विनियम 3.2 का प्रतिस्थापन

मूल विनियमों के विनियम 3.2 के स्थान पर निम्नलिखित विनियम प्रतिस्थापित किया जाए, अर्थात्:–

3.2 ऐसी नवीकरणीय विद्युत परियोजनाओं के मामले में जिनका वितरण अनुज्ञप्तिधारी से 20 वर्ष या अधिक अवधि हेतु दीर्घावधि विद्युत अनुबंध है, जिन्होंने 01 अप्रैल 2012 से पूर्व वाणिज्यिक संचालन हेतु तिथि अर्जित कर ली है उन पर प्रयोज्य टैरिफ (निश्चित प्रभार), उस टैरिफ अवधि की समयावधि के दौरान जिसे याचिका क्रमांक 22, सन् 2011 (T), में आदेश दिनांक 28 दिसम्बर, 2011 में नियत किया गया है, जहां विद्युत प्रभारों को इन विनियमों के प्रावधानों के अनुसार अभिनिश्चित किया जाएगा, याचिका क्रमांक 22, सन् 2011 (T), में आदेश दिनांक 28 दिसम्बर, 2011 और उसमें आयोग द्वारा समय–समय पर जारी संशोधनों से भासित होगा। तथापि, ऐसी परियोजनाओं के लिए याचिका क्रमांक 22, सन् 2011 (T), में प्रदत्त आदेश दिनांक 28 दिसम्बर, 2011 की वैधता पूरी हो जाने पर नवीन टैरिफ का निर्धारण, उत्पादनकर्ता अथवा अनुज्ञप्तिधारी के अनुरोध पर इन विनियमों में सामान्य/परियोजना विशेष के आधार पर विनिर्दिश्ट मानदण्डों के अनुरूप किया जाएगा। आगे ऐसे प्रकरणों में टैरिफ आदेश प्रचलन के उपरांत टैरिफ के निर्धारण हेतु तत्समय प्रचलित आदेशों में विनिर्दिष्ट किए अनुसार पूंजी लागत अनुमत होगी और अन्य वित्तीय मानदण्ड इन विनियमों से शासित होंगे। मौजूदा परियोजनाओं की अन्य सभी दशाएं और शर्ते इन विनियमों से शासित होंगी।

5. विनियम 7.1 (i) का प्रतिस्थापन

मूल विनियमों के 7.1(i) के स्थान पर निम्नलिखित विनियम प्रतिस्थापित किया जाए, अर्थात्:–

(i) नगरपालिकीय अपशिष्ट आधारित परियोजनाएं, जब तक इस संबंध में आयोग द्वारा विशिष्ट विनियम अधिसूचित नहीं कर दिये जाते।

6. विनियम 11 का प्रतिस्थापन

मूल विनियमों के 11 के स्थान पर निम्नलिखित विनियम प्रतिस्थापित किया जाए, अर्थात्:–

11.1 बायोमास विद्युत उत्पादन केन्द्र को छोड़कर समस्त नवीकरणीय ऊर्जा विद्युत संयंत्रों को 'अवश्य चलने वाले' (Must-run) विद्युत संयंत्र के रूप में माना जाएगा और उन पर अनुसूचीकरण (शेड्यूलिंग) और गुणताक्रम प्रेशण सिद्धांत (Merit order dispatch principle) लागू नहीं किए जाएंगे। बायोमास विद्युत उत्पादन केन्द्र पर मासिक अनुसूचीकरण लागू किया जाएगा।

परंतु नवीकरणीय ऊर्जा विद्युत संयंत्रों के लिए राज्यांतरिक ABT/विचलन निर्धारण प्रणाली/UI विनियम के अधिसूचना के उपरांत नवीकरणीय ऊर्जा विद्युत संयंत्रों का अनुसूचीकरण एवं विचलन प्रभार राज्यांतरिक ABT/विचलन निर्धारण प्रणाली/UI विनियमन से भासित होंगे।

11.2 बायोमास विद्युत उत्पादन केन्द्र अगले महीने में अपने द्वारा किए जाने वाले विद्युत प्रदाय की एक मासिक अनुसूची, वितरण अनुज्ञप्तिधारी को माह की 23वीं दिनांक तक दे देंगे। यदि प्रचलित माह की 23वीं दिनांक तक बायोमास विद्युत उत्पादन केन्द्रों द्वारा अगले माह की मासिक अनुसूची नहीं प्रस्तुत की जाती तो समस्त गणना के उद्देश्यों के लिए प्रचलित माह की अनुसूची को विचार में लिया

जाएगा। वितरण अनुज्ञप्ति द्वारा स्वीकृत मासिक अनुसूची को एक आवेदन के माध्यम से बायोमास संयंत्रों के द्वारा नोडल एजेंसी को दिए गए सूचना के आधार पर संशोधन किया जा सकेगा।

परंतु यह, कि अनुसूची में ऐसा संशोधन कम से कम दो दिवस की अवधि समाप्ति के पहले प्रभावी नही होगा।

परंतु यह भी कि अनुसूची में संशोधन की सूचना वितरण अनुज्ञप्तिधारी को दिए जाने वाले दिन और जिस दिन से संशोधन को लागू किया जाना है, उक्त दो दिवस की अवधि गणना से परे होगी।

परंतु यह भी कि मासिक अनुसूची में केवल दो संशोधन की ही अनुज्ञप्ति दी जाएगी, जो कि क्रमिक महिनों (Successive- Months) के लिए लागू नही होगा।

11.3 बायोमास विद्युत उत्पादन केन्द्र से वितरण अनुज्ञप्तिधारी को प्रदाय की गई विद्युत का भार कारक अनुसूचित मात्रा के आधार पर परिगणित किया जाएगा। भार कारक (Load Factor) की गणना निम्नानुसार की जाएगीः–

$$\text{भार कारक} = \frac{\text{माह के दौरान प्रदाय की गई यूनिटों की वास्तविक संख्या (MU)}}{\text{अनुसूचित मात्रा (MU)}}$$

11.4 बायोमास विद्युत उत्पादन केन्द्र के लिए निर्धारित दरें (निश्चित प्रभार+ऊर्जा प्रभार), 80% और अधिक भार कारक हेतु आधार दर होगी। 80% भार कारक से नीचे विद्युत प्रदाय हेतु प्रभावी दर की गणना निम्नानुसार की जाएगीः–

$$\text{प्रभावी दर (रू.)} = \frac{\text{(निश्चित प्रभार+ऊर्जा प्रभार)X प्रतिशत भार कारक}}{80\%}$$

तथापि, न्यूनतम प्रभावी प्रभार आयोग द्वारा यथा निर्धारित ऊर्जा प्रभार होगा।

11.5 मासिक अनुसूचित ऊर्जा के 110% से ऊपर, आधिक्य अन्तःक्षेपण के लिए दरें, ऊर्जा प्रभार रहेगी।

11.6 स्टार्टअप पॉवर के लिए मांग प्रभार, वितरण अनुज्ञप्तिधारी के लिए आयोग द्वारा जारी समुचित टैरिफ आदेश के माध्यम से शासित होंगे।

11.7 **ऊर्जा संजालीकरण (Netting of Energy)** :– ऐसे नवीकरणीय विद्युत उत्पादन संयंत्रों हेतु, जो वितरण अनुज्ञप्तिधारी को विद्युत प्रदाय कर रहे हैं, ऊर्जा संजालीकरण की अनुमति, ग्रिड से स्टार्टअप ऊर्जा के आयात के विरूद्ध, मासिक आधार पर दी जाएगी।

11.8 **विद्युत बैंकिंगः** नवीकरणीय ऊर्जा विद्युत उत्पादन केन्द्रों हेतु विद्युत की बैंकिंग, ऐसे संयंत्रों के लिए तीन माह हेतु अनुमत हो सकेगी जिन्होंने वितरण अनुज्ञप्तिधारी से संपूर्ण उत्पादित विद्युत के वितरण अनुज्ञप्तिधारी को प्रदाय हेतु अनुबंध नहीं किया है;

परन्तु नवीकरणीय विद्युत उत्पादन संयंत्रों द्वारा उस बिन्दु पर ABT मीटर प्रतिस्थापित किए जाएंगे जहां अनुज्ञप्तिधारी विद्युत प्राप्त कर रहा है;

परन्तु वितरण अनुज्ञप्तिधारी द्वारा विद्युत विमुक्त किये जाते समय प्रतिमाह बैंकिंग प्रभार के रूप में, वितरण अनुज्ञप्तिधारी द्वारा विद्युत का 2% समायोजित किया जाएगा;

परन्तु यह और भी कि व्यस्ततम समय (Peak hours) के दौरान जब उत्पादनकर्ता द्वारा विद्युत की निकासी की जाती है, जो टैरिफ आदेश में यथा परिभाषित व्यस्ततम समय से इतर जमा की जाती है, तो उसे अपनी विद्युत की लागत और उस वित्तीय वर्ष में वार्षिक औसत विद्युत क्रय लागत के मध्य अंतर का भुगतान, अनुज्ञप्तिधारी को क्षतिपूर्ति के तौर पर करना चाहिए।

7. विनियम 44 का प्रतिस्थापन

मूल विनियमों के विनियम 44 के स्थान पर निम्नलिखित विनियम प्रतिस्थापित किया जाए, अर्थात्:–

44 कैलोरी मूल्य

44.1 MNRE द्वारा विनिर्दिष्ट ईंधन मिश्र अनुपात 85:15 (बायोमासःकोयला) वाली बायोमास विद्युत परियोजनाओं के लिए टैरिफ निर्धारण के प्रयोजन से बायोमास ईंधन का औसत कैलोरी मूल्य, 3300

किलो कैलोरी प्रति किलोग्राम और 75:25 (बायोमासःकोयला) वाली बायोमास विद्युत परियोजनाओं के लिए 3338 किलो कैलोरी प्रति किलोग्राम होगा।

8. विनियम 45.1 का प्रतिस्थापन

मूल विनियमों के विनियम 45.1 के स्थान पर निम्नलिखित विनियम प्रतिस्थापित किया जाए, अर्थातः—

45.1 बायोमास ईंधन का मूल्य नियंत्रण अवधि (अर्थात्, वित्तीय वर्ष 2012—13) के प्रथम वर्ष के दौरान रू. 2476/— प्रति मीटरिक टन होगा और तदुपरांत विनियम 45.2 और 45.3 के अधीन यथा निर्दिष्ट सूचकांक प्रणाली से संबद्ध रहेगा।

तथापि, नियंत्रण अवधि के पांचवे वर्ष (अर्थात् वित्तीय वर्ष 2016—17) हेतु बायोमास ईंधन का मूल्य स्वतंत्र अध्ययन के माध्यम से निर्धारित किया जाएगा। यह स्वतंत्र अध्ययन एक 6 सदस्ययी राज्य स्तर की समिति द्वारा कराया जाएगा, जिसमें आयोग द्वारा नाम निर्देशित निम्नांकित सदस्य होंगेः—

(क) राज्य सरकार का प्रतिनिधि—अध्यक्ष

(ख) छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी विपणन संघ मर्यादित का प्रतिनिधि—सदस्य

(ग) राज्य संपर्क अभिकरण (क्रेडा) का प्रतिनिधि—सदस्य संयोजक

(घ) राज्य वितरण कम्पनी (छ.रा.वि.वितरण कं.) का प्रतिनिधि—सदस्य

(ड.) बायोमास विद्युत उत्पादक एसोसिएशन का प्रतिनिधि—सदस्य

(च) उपभोक्ता प्रतिनिधि—सदस्य

अध्ययन के उपरांत समिति बायोमास ईंधन का मूल्य दर्शाएगी और दो माह के भीतर प्रयोज्य बायोमास ईंधन मूल्य प्रस्तुत कर देगी।

9. विनियम 45.4 का विलोपन

मूल विनियमों के विनियम 45.4 को विलोपित किया जाए।

आयोग के आदेशानुसार,

हस्ता./—

(पी. एन. सिंह)
सचिव.

Raipur, the 21st March 2016

REGULATION

No. 68/CSERC/2016.— In exercise of the power vested to the State Commission under section 61, 86 read with Section 181 of the Electricity Act 2003 (36 of 2003) and all other powers enabling it in this behalf, Chhattisgarh State Electricity Regulatory Commission (the Commission) made Chhattisgarh State Electricity Regulatory Commission (Terms and conditions for determination of generation tariff and related matters for electricity generated by plants based renewable energy sources) Regulations, 2012 (CSERC RE Tariff Regulations 2012 or the Principal Regulations) to specify specifying the terms and conditions of tariff for wind based electricity generating stations, small hydro electricity generating stations, biomass based electricity generating stations and solar based electricity generating stations for the purpose of sale of power to distribution licensees. These Regulations came into force from the date of notification in the Chhattisgarh Gazette (Rajpatra) i.e. July 27, 2012 for the five year control starting from FY 2012-13 to FY 2016-17.

The Commission subsequently notified the Chhattisgarh State Electricity Regulatory Commission (Terms and conditions for determination of generation tariff and related matters for electricity generated by plants based renewable energy sources) (First Amendment) Regulations, 2013.

In pursuance of the Principal Regulations and its subsequent amendment, the Commission hereby makes the following regulations to amend the Principal Regulations.

1. Short title and commencement

1.1 These Regulations may be called the Chhattisgarh State Electricity Regulatory Commission (Terms and conditions for determination of generation tariff and related matters for electricity generated by plants based renewable energy sources) (Second Amendment) Regulations, 2016.

1.2 These Regulations shall come into force from April01, 2016 and shall remain in force upto end of financial year 2016-17.

2. Substitution of new sub regulation for sub regulation (m) of regulation 2.1

For sub regulation (m) of regulation 2.1 of the principal Regulations, the following sub regulation shall be substituted, namely:-

(m) "**Firm Power**" means any electricity supplied from and after the COD of project

3. Substitution of new sub regulation for sub regulation (x) of regulation 2.1

For sub regulation (x) of regulation 2.1 of the principal Regulations, the following sub regulation shall be substituted, namely:-

(x) **"Non-firm power"** means the power generated from renewable sources, the hourly variation of which is dependent upon nature's phenomenon like sun, cloud, wind, etc., that cannot be accurately predicted;

4. Substitution of Regulation 3.2

For regulation 3.2 of the principal Regulations, the following regulation shall be substituted, namely:-

3.2 In case of existing RE projects having long term PPA with distribution licensee of 20 years or more, which have achieved COD before April01, 2012, applicable tariff (fixed charges) shall be governed by Order dated December28, 2011 in P No 22 of 2011(T) and amendments thereof as issued from time to time by the Commission for the duration of the Tariff Period as stipulated under Order dated December28, 2011 in P No 22 of 2011(T) whereas energy charges will be determined as per provisions in these regulations. However on completion of validity of Order dated December28, 2011 in P No 22 of 2011(T) for such projects, the new tariff will be decided on basis of norms specified in these regulations on generic/project specific basis on the request of generators or licensees. Further in such cases for determination of the tariff after

currency of the tariff order, the capital cost shall be allowed as specified in the then prevailing orders and other financial parameters will be governed by these regulations. All the other terms and conditions of existing projects shall be governed by these Regulations.

5. Substitution of Regulation 7.1 (i)

For regulation 7.1(i) of the principal Regulations, the following regulations shall be substituted, namely:-

i. Municipal Waste based Projects till the time separate specific regulation in this regard is notified by the Commission.

6. Substitution of Regulation 11

For regulation 11 of the principal Regulations, the following regulations shall be substituted, namely:-

11.1 All renewable energy power plants except for biomass power generating station shall be treated as 'MUST RUN' power plants and shall not be subjected to scheduling and merit order despatch principles. The biomass power generating station shall be subjected to monthly scheduling.

Provided that subsequent to the notification of intra-State ABT/Deviation settlement Mechanism/UI Regulations, scheduling and deviation charges of renewable energy based power plants will be governed by the intra-State ABT/Deviation settlement Mechanism/UI Regulations.

11.2 Biomass generating plants shall give a monthly schedule of their power supply to take place in next month to distribution licensees by 23rd of the month. If the monthly schedule for the next month is not submitted by biomass generating plants up to 23rd of the current month, the current month schedule shall be considered for all calculation purposes. Monthly schedules accepted by the distribution licensee may be revised on an application to that effect made to the nodal agency by biomass generators.

Provided that such revision of the schedule shall not be effective before the expiry of minimum period of two days.

Provided further that the day on which notice for revision of the schedule is served to the distribution licensee and the day from which such revision is to be implemented shall be excluded for computing the period of two days.

Provided further that only two revision in the monthly schedule shall be permitted which should not be for successive months.

11.3 Load factor for the power supplied by the biomass power generating plant to the distribution licensees shall be calculated on the basis of scheduled quantum. Load factor will be calculated as follows:

$$\text{Load factor} = \frac{\text{number of actual units supplied during the month (MU)}}{\text{Scheduled quantum (MU)}}$$

11.4 Rates (fixed charges plus energy charges) determined for the biomass power generating station will be base rate for power supply at 80% and above load factor. Effective rate for power supply below 80% load factor will be calculated as follows;

$$\text{Effective rate (Rs.)} = \frac{\text{(fixed charges + energy charges) X \% load factor}}{80\%}$$

However minimum effective charge shall be energy charges as decided by the Commission.

11.5 Rates for over injection, over and above 110% of the monthly scheduled energy, shall be energy charges only.

11.6 Demand charges for start-up power shall be governed through the appropriate tariff order for distribution licensee issued by the Commission.

11.7 **Netting of Energy:** Netting of energy for those RE generating plants which are supplying power to the distribution licensee would be permitted on monthly basis against the import of start-up energy from the grid.

11.8 **Banking of Energy:** Banking of energy for RE generating plants would be permissible for three months for those plants which have not entered into agreements with distribution licensee for supply of electricity generated in full to the distribution licensee.

Provided that the RE generating plants install the ABT meter at the point at which licensee receives power.

Provided that 2% of the energy will be adjusted by distribution licensee while releasing the energy by distribution licensee as banking charge per month.

Provided also that when the generator withdraws energy during peak hours, which is deposited during off-peak hrs as defined in the tariff order, he should compensate the licensee by paying the difference between the cost of his power and the annual average power purchase cost of that financial year.

7. Substitution of Regulation 44

For regulation 44 of the principal Regulations, the following regulation shall be substituted, namely:-

44 Calorific Value

44.1 The average Calorific Value of the biomass fuel(s) used for the purpose of determination of tariff for biomass power projects with MNRE specified fuel mix ratio of 85:15 (biomass:coal) shall be 3300 kcal/kg and for fuel mix ratio of 75:25 (biomass:coal) shall be 3338 kcal/kg (biomass:coal).

8. Substitution of Regulation 45.1

For regulation 45.1 of the principal Regulations, the following regulation shall be substituted, namely:-

45.1 Biomass fuel price shall be 2476 Rs/MT during first year of the control period (i.e., FY 2012-13) and thereafter shall be linked to indexation mechanism as specified under Regulation 45.2 and 45.3.

However biomass fuel price for the year fifth year of the control period (i.e. FY 2016-17) shall be determined through independent study. Independent study would be carried out by a six member State level Committee consisting following members nominated by the Commission;

a. Representative of State Govt. - Chairman
b. Representative of CG State Co-operative Marketing Federation Ltd. -Member
c. Representative of State Nodel Agency (CREDA) - Member- Convener
d. Representative of State Distribution Company (CSPDCL) - Member
e. Representative of biomass power producers association - Member
f. Consumer representative - Member

After study, the Committee will arrive at biomass fuel price and will submit applicable biomass fuel price within two months.

9. Deletion of Regulation 45.4

Regulation 45.4 of the Principal Regulations shall be deleted.

By the order of the Commission,

Sd/-

(P. N. Singh)
Secretary.

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय मुद्रणालय, रायपुर से मुद्रित तथा प्रकाशित - 2016.